



2026:AHC:163215

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 27349 वर्ष 2026

मनोज कुमार

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: गोपाल सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह और राज्य की ओर से एजीए श्री डीपीएस चौहान के तर्क सुने और अभिलेख देखा।
2. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 483/2025 (धारा 85, 80(2), 351(2), 92 बीएनएस और धारा 3/4 द. प्र. अधिनियम, थाना कोतवाली शहर महोबा, ज़िला महोबा) में विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतका का पति है। मृतका ने 31.12.2024 को ज़हरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसके तुरंत बाद आवेदक उसे अस्पताल ले गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। मृतका के माता-पिता को भी 01.01.2025 को सूचित किया गया था और शव की जांच की कार्यवाही के समय आवेदक और उसके परिवार के अन्य सदस्य मृतका के माता-पिता के साथ मौजूद थे। मृतका की शव परीक्षण आख्या में मौत का कारण पता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं चल सका, इसलिए विसरा सुरक्षित रखा गया था। हालाँकि, मौजूदा प्राथमिकी 11.10.2025 को 03.04.2025 को दायर बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत एक प्रार्थना-पत्र के ज़रिए दर्ज की गई, जो घटना की तारीख से 3 महीने से ज़्यादा समय बाद की गई थी, और इस देरी का कोई कारण नहीं बताया गया। 30.04.2025 को मिली मृतका की विसरा आख्या से पता चलता है कि मृतका की मौत ज़हरीला पदार्थ खाने से हुई थी।

4. आगे यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने में लगभग 10 महीने की ऐसी देरी हुई है जिसका कोई कारण नहीं बताया गया है, और इसके अलावा, कई ग्रामीणों ने साफ़ तौर पर कहा है कि यह पति-पत्नी के बीच घरेलू मुद्दों को लेकर एक मामूली विवाद था, जिसके कारण मृतका ने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों ने माना है कि यह एक अंतर-जातीय विवाह था और मृतक के माता-पिता इस शादी से खुश नहीं थे; इसी वजह से प्राथमिकी दर्ज करने में 10 महीने की काफी देरी हुई। यह भी बताया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही, इस मामले में आरोप पत्र दाखिल की जा चुकी है, इसलिए हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक विधिक का पालन करने वाला नागरिक है और 24.10.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे ज़मानत दी जाती है, तो वह ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने ज़मानत की प्रार्थना-पत्र का पुरज़ोर विरोध किया, लेकिन ऊपर बताए गए तथ्यों को चुनौती नहीं दे सके।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों, आरोपी की संलिप्तता, जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; साथ ही **कपिल वधावन बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन इला 6765** मामले में ज़मानत देने के संबंध में इस न्यायालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना-पत्र **स्वीकार किया जाता है।**



7. उक्त अपराध में शामिल आवेदक - **मनोज कुमार** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो ज़मानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

i. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके, और न ही वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा भरे गए बंधपत्र की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

8. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत निरस्त की जा सकती है।

9. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय आवेदक और ज़मानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण की पुष्टि करेगी।

10. संबंधित न्यायालय आवेदक और ज़मानतदारों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड की पुष्टि करेगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रतिलिपी के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया हो और संबंधित अधिवक्ता ने सत्यापित किया हो, साथ ही यह वचन दिया हो कि प्रमाणित प्रतिलिपि 15 दिनों के भीतर जमा कर दी जाएगी।

12. आगे यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ज़मानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रतिलिपि 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के ज़रिए ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल पर और विचारण न्यायालय को ई-मोड से आवेदक को भेजे। यह आदेश ज़मानत देने की नीति रणनीति इन री: स्वप्रेरित रिट



याचिका (क्रि.) संख्या 4/2021, फैसला 31.01.2023, (2024) 10 एससीसी 685 में दर्ज और पिला पाहन उर्फ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025, फैसला 29.05.2026 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में दिया जा रहा है।

14. अगर कोई प्रार्थना-पत्र है, तो उसका निस्तारण कर दिया गया है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

5 अगस्त, 2026

एसए